विधायक / सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, आवास योजनाओं एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक 22 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष कमरा नम्बर 8120 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी, (अभि0)जिला परिषद, जयपुर, एवं विकास अधिकारियों की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण :

निर्देशानुसार परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो.एवं मू) की अध्यक्षता में जयपुर जिले की विधायक / सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, आवास योजनाओं एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक 22 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष कमरा नम्बर 8120 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी,(अभि0) जिला परिषद, जयपुर, एवं विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई । बैठक में आवश्यक विचार–विमर्श एवं चर्चा उपरान्त बिन्दुवार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

1. योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला परिषद के स्तर पर विधायक/ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं की तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में त्वरित कार्यवाही नही की जा रही है, जिससे कार्यो के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है । इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर संबंधित दोषी कार्मिकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करें, की गई कार्यवाही से शासन सचिव महोदय को अवगत करावें ।
2. विधायक/ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में लंबे समय तक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही होने अथवा अभिशंषित राशि से अधिक का कार्य होने पर पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर कार्यवाही रोक दी जाती है और प्रकरण लम्बित हो जाते हैं, जबकि विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि तकनीकी स्वीकृति का निस्तारण 25 दिवस में आवश्यक रूप से किया जावे, जिन मामलों में एस्टीमेट 10 प्रतिशत तक का आता है उनमें जिला परिषद अपने स्तर पर अधिक राशि की स्वीकृति जारी कर सकती है एवं यदि एस्टीमेट 10 प्रतिशत से अधिक राशि का आ रहा है तो कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए सूचना मा. सांसद/विधायक को दी जाये एवं यदि वे पुनः बढी हुई राशि की अभिशंषा करते हैं तो नये सिरे से स्वीकृति जारी की जाये, की पालना नही की जारही है । अतः विभागीय निर्दशों की पालना करवाई जावे एवं सचिव महोदय की ओर से इस सम्बन्ध में जिलों को पुनः आदेश प्रसारित करवाये जावें ।
3. IWMS पर जिलेवार सूचना निकालने पर ज्ञात हुआ कि सांगानेर पंचायत समिति के समस्त कार्य प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं । इस संबंध में प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. को अवगत करवाया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि समस्त स्वीकृत कार्यो की सूचना रिपोर्ट में प्रदर्शित हों साथ ही कार्यो की स्वीकृति जारी करते समय पंचायत समिति, ग्राम पंचायत व नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका का नाम भी अंकित किए जाने के संबंध में जिलों को पत्र जारी किया जावे ।

4. जिले में कुछ कार्यो की वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त की राशि जारी नही की जा रही है, जिससे कार्य प्रारंभ नही हो पा रहे हैं । अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अपने स्तर पर इस संबंध में समीक्षा कर त्वरित रूप से राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करावे ।

5. समीक्षा के दौरान पाया गया कि **वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त लगभग एक माह बाद संबंधित ग्राम पंचायत (कार्यकारी संस्था) को राशि की स्वीकृति व जानकारी मिलती है ।** अतः वित्तीय स्वीकृति जारी करने के साथ ही कार्यकारी संस्था को उसी दिन विकास अधिकारी के माध्यम के बगैर सीधे ही सूचना भेजी जावे तथा उसके खाते में राशि का हस्तांतरण भी चैक के स्थान पर आर.टी.जी.एस अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सुनिश्चित किया जावे, ताकि उसी दिन राशि प्राप्त हो जाये ।

6. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 14वीं लोकसभा के खाते अभी तक बन्द नही किये गये हैं, जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हुए लगभग 6.5 वर्ष व्यतीत हो चुका है । अतः आगामी एक माह में समस्त देनदारियों का निस्तारण कर 14वीं लोकसभा के खाते बंद करते हुए अवशेष राशि वर्तमान सांसदों के खाते में स्थानान्तरित करवाई जावे । राज्यसभा सांसदों के संबंध में यह पाया गया है कि रिटायरमेंट के उपरान्त भी उनकी देय 4 – 5 किश्तें बकाया हैं, यह कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है, इन सभी किश्तों को निर्धारित प्रकियानुसार आगामी 6 माह में प्राप्त कर समस्त स्वीकृति जारी करें व उनके खाते बन्द कर बचत राशि की सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध करवायें ।

7. आवास योजनाओं में डिफाल्टर होने पर लाभार्थी से राशि वसूल कर ली गई है। परन्तु उस राशि को किस प्रकार किन खातों में जमा करवाकर अंतिम निस्तारण किया जाना है, की प्रकिया अभी तक निर्धारित नही है । अतः राज्य मुख्यालय से प्रकिया निर्धारित कर जिलों को अवगत करवाया जावे ।

8. इन्दिरा आवास योजना में जिन लाभार्थियों के पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नही है, उनके आवास निरस्त करने के स्थान पर उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से निशुल्क पट्टे जारी करवाये जावें ।

9. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत जयपुर जिले में वर्ष 2011–12 के 431, वर्ष 2012–13 के 1080 एवं वर्ष 2013–14 के 746 कुल 2257 आवास अपूर्ण हैं, जिनकी पंचायत समितिवार समीक्षा की गई । जिसमें पाया गया कि कुछ पंचायत समिति के विकास अधिकारीगण द्वारा लाभार्थीवार समीक्षा नही की गई है, जिससे उन्हें यह जानकारी नही कि किस लाभार्थी का किन कारणों से आवास अधूरा है । अतः इस संबंध में निर्देश दिये गये कि सभी विकास अधिकारी 5 मार्च, 2016 से पूर्व लाभार्थीवार समीक्षा कर 5 मार्च से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार अभियान चलावें ।

10. पंचायत समिति जालसू, जमुआ रामगढ, पावटा, कोटपूतली एवं सांगानेर के विकास अधिकारीगण के राज्य स्तरीय बैठक में सांसद/ विधाक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के कार्यो की कार्यार समीक्षा करके नहीं आने व बकाया कार्यो एवं कारणों से अवगत नही कराये जा पाने पर उनसे इस संबंध में राज्य कार्य में उदासीनता के संबंध में 17 सी.सी.ए.में कार्यवाही करने के साथ एक माह की अवधि में बकाया कार्यो को पूर्ण करते हुए कार्यवार समीक्षा रिपोर्ट 20 मार्च, 2016 तक मुख्यालय को सूचना भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये ।

बैठक के अन्त में निर्देश प्रदान किये गये कि सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जन भागीदारी विकास येजना, स्व विवेक जिला विका योजना के समस्त कार्य जिनकी वित्तीय स्वीकृति 31.12.2015 तक जारी की गई हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पूर्ण करावें तथा जिन प्रकरणों में कार्य कानूनी या अन्य कारणों से पूर्ण नही हो सकता हो, उन्हें निरस्त करवाने की कार्यवाही करावें। किसी भी स्थिति में कोई भी कार्य प्रगतिरत या अधूरा नही रहे । इस संबंध में दिनांक 20 मार्च, 2016 को पुनः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अपने स्तर पर समीक्षा कर उक्त समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर समीक्षा रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(सी.एल.वर्मा)
परियोजना निदशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी–।)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–6)

क्रमांक : एफ 52(।)ग्राावि/अनु–6/एमपी/प्रोग्रे/2015 जयपुर, दिनांक 24 FEB 2016

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज.जयपुर ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. परि.निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी–।/।।) ग्रामीण विकास विभाग, राज.जयपुर ।
4. अधीक्षण अभियन्ता(अभि.) ग्रा.वि., राज.जयपुर ।
5. परि.अधिकारी, (एस.ए.पी–।/।।) आई.ए.वाई., ग्रामीण विकास विभाग
6. सहयक निदेशक, मो.एवं मू., ग्रामीण विकास, राज.जयपुर ।
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास, राज.जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

परि. निदे. एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी–।)